(6)

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक............/17

II/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4406

पुरुषोत्तम [redacted] तनय श्री रामसहाय मुड़हा निवासी तपा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 --------आवेदक

बिरुद्ध

रामसुन्दर तनय श्री शिवसहाय मुड़हा निवासी ग्राम तपा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ----अनावेदकगण

अरविन्द पाण्डेय, अधि. आज दि. 14-11-17 को
14-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पं.दि. 22/11/2017
22-11-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के आदेश दिनांक 20.09.17 एवं तहसीलदार तहसील रामपुर बाघेलान जिलार सतना के आदेश दिनांक 15.09.17 एवं 18.09.17, 20.09.17 प्रकरण क्रमांक 290/अ-74/2016-17 एवं 154/अ-74/2016-17 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 एवं 15.09.17 एवं 20.09.17 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप कोई वैधानिक सुनवाई नही किया न ही आवेदकगण को कहीं कोई सुनवाई के संबंध मे सम्मन सूचना ही दी गई, अनावेदक पुत्र भैय्यालाल ने विधि प्रक्रिया के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे शिकायती आवेदन दिया था जिसमे

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 4406

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
15-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। उनके द्वारा द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के आदेश दिनांक 20.09.2017 के द्वारा प्र0 क0 154 / अ–74 / 2016–17 में रिव्यु की स्वीकृति दी गई थी एवं तहसीलदार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के अंतिरिम आदेश दिनांक 15.9.17, 18.9.17, 20.9.17, प्रकरण कमांक 290 / अ–74 / एवं 154 / अ–74 / 2017–17 में पारित आदेश के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक श्याम सुन्दर तनय शिव सहाय मुड़हा निवासी ग्राम तपा द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि मौजा तपा की अराजी कमांक कमांक 807 / / 6 रकवा 0.028 है0 अवैधानिक तरीके से पुरूषोत्तम मुड़हा तनय राम सहाय मुड़हा के नाम से दर्ज कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन तहसीलदार रामपुर बघेलान द्वारा प्रकरण कमांक 165 / अ–27 / 11–12 का अवलोकन किया गया प्रकरण तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पुंर्नविलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.17	

को पुर्नाविलोकन की अनुमति प्रदान की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेा दिनांक 15.9.17, 18.9.17, 20.9.17, सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के अनुरूप कोई वैधानिक सुनवाई नहीं किया न ही आवेदकगण को कहीं कोई सुनवाई के संबंध में सम्मन सूचना ही दी गई अनावेदक के पुत्र भैयालाल ने विधि प्रकिया के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में शिकायती आवेदन दिया था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 15.9.17 का तहसीलदार रामपुर बाघेलान को मूल प्रकरण समक्ष रखने का निर्देश दिया था लेकिन तहसीलदार तहसील रामपुर बाघेलान ने दिनांक 15.9.17 के आदेश पत्रिका में अनुविभागीय अधिकारी रामपुर का जिक्र करके प्रकरण पंजीबद्व किया एवं मूल प्रकरण तलवी के लिये लगाया और पेशी दिनांक 18.9.17 को आवेदक की बगैर सुनवाई किये बिना ही प्रकरण अवलोकनार्थ दिनांक 20.9.17 को नियत किया गया जिसमें स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायाालयों के द्वारा विधि प्रकिया का एवं सुनवाई संबंधी प्रकिया का सरासर दुरूपयोग किया गया है और आवेदक को बगैर सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर दिये ही उसके हित में विपरीत आदेश पारित किया है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान का

आदेश दिनांक 20.9.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को बिना सुने रिव्यु की अनुमति प्रदान की गई है। जबकि अंनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 165 / अ–27 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 5.9.12 के विरूद्व अपील प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पेशी दिनांक 6.11.17 नियत है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.17 को रिव्यु की अनुमति दी गई है। दिनांक 15.9.17 को भैयालाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे तहसीलदार के न्यायालय में भेजा गया तथा उसी आवेदन के अनुसार तहसीलदार द्वारा रिव्यु की अनुमति चाही गई है, जबकि भैयालाल उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। उभयपक्ष को बिना सुने रिव्यु की अनुमति प्रदान की गई है जबकि **राजस्व निर्णय 2010 पेज 124 न्यायामूर्ति आर0 एस0 गर्ग तथा यू0 सी0 महेश्वरी (माननीय उच्च न्यायालय) ने भी धारा 51 (1) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के संबंध में यह उल्लेख किया है कि दूसरे पक्षों को सूचना दिये बिना रिव्यु की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।** उरोक्त न्याय दृष्टांत से स्पष्ट है कि अनुविभागयी अधिकारी का आदेश दिनांक 20.9.17 त्रुटिपूर्ण है। जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के आदेश दिनांक 20.09.2017 के द्वारा

प्र0 क0 154/अ–74/2016–17 में रिव्यु की स्वीकृति दी गई है वह निरस्त की जाती है । तथा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण इसी से संबधित संचालित है। वहां पर उभयपक्ष अपना पक्ष समर्थन रखने का अवसर प्राप्त है। आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य